

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2013—श्रावण 11, शक 1935

वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2013

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 2013-01-00099/वित्त/नियम/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“11. कर्तव्य से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि—

- (1) शासकीय सेवक को पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (2) कोई शासकीय सेवक, अवकाश सहित या बिना अवकाश के, बाह्य सेवा से भिन्न, पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जायेगा जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित न करें:

परन्तु उप-नियम (2) के प्रावधानों को लागू करने के पूर्व उस शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।”

Naya Raipur, the 1st August 2013

### NOTIFICATION

No. F-2013-01-00099/Rules/TV/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely :—

### AMENDMENT

In the said rules,—

For rule 11, the following shall be substituted, namely :—

**“11. Maximum period of absence from duty—**

- (1) No Government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.
- (2) A Government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years other than on foreign service, with or without leave, shall be deemed to have resigned from the Government service unless the Governor, in view of the exceptional circumstances of the case, otherwise determines:

Provided that a reasonable opportunity shall be given to that Government servant to explain the reasons for such absence before the provisions of sub-rule (2) are invoked.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव.